रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3— Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 655] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 1998/आश्विन 13, 1920
No. 655] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER, 5, 1998/ASVINA 13, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 23 (आर ई-98)/1997-2002

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1998

का. आ. 878(अ).—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (13-4-1998 तक के संशोधन शामिल हैं) के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या-22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 (13-4-1998 तक के संशोधन शामिल हैं) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैराग्राफ 6.2 के पहले वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

> "जिग्स, फिक्सचर, डाइज और माउल्डस समेत पूंजीगत वस्तुओं का सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयात किया जा सकता है बशर्ते कि इस अवधि के दौरान नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए। इसके अलावा पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 20% तक के अतिरिक्त कल पुर्जों का भी आयात इस स्कीम के अन्तर्गत किया जा सकता है।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. संख्या पी आर यू/ए एस/98-99/ओपन हाउस]

एन.एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 23 (RE-98)/1997–2002

New Delhi, the 5th October, 1998

S.O. 878(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 13-4-1998), the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002: (incorporating amendment made upto 13-4-1998).

The first sentence of paragraph 6.2 shall be amended to read as under :

"Capital goods including jigs, fixture, dies and moulds may be imported at a concessional rate of customs duty subject to export obligation to be fulfilled over a period of time as per table given below. In addition, spares upto 20% of the CIF value of the capital goods may also be imported under the scheme".

This issues in public interest.

[F. No. PRU/AS/98-99/Open House]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.